

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021—आषाढ़ 17, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच-(50).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-I-V-(72), दिनांक 21 जुलाई 2017 में और आगे भी निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3), में मद (iv) में, उप मद (च) के पश्चात् निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“बशर्ते कि 14 जून 2021 से प्रारंभ होकर 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि में उप मद, (च) में निर्दिष्ट सेवा विवरण पर राज्य कर, कॉलम (4) में निर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5% की दर से लगेगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 14 जून 2021 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ ए 3-33-2017-1-पांच (50).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1-पांच-(50), दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F A 3-33-2017-1-V(50).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification no F A 3-32-2017-IV (41) dated the 29th June, 2017, namely:—

2. In the said notification, in the Table, against serial number 3, in column (3), in item (iv), after clause (f), the following shall be inserted, namely,—

“ Provided that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the state tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in column (4), be levied at the rate of 2.5 per cent.”;

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 14th June, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.